न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा, म0प्र0

R-1933-5/12

रामाधार तनय नान्हकराम पनिका निवासी ग्राम–विरकुनियां, तहसील–चितरंगी, जिला–सिंगरौली, म0प्र0

-----आवेदक

बनाम्

1– धीरशाह
2– मीरशाह } पिसरान रामनाथ बैगा, निवासी ग्राम–बिरकुनियां, तहसील–चितरंगी, जिला–सिंगरौली म0प्र0
3– मध्यप्रदेश शासन

---------- अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री अवंती सोनी द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दिनांक 16-05-2012
16-5-12

केविएट आवेदन के 176 तत्काल किया गया।
16-5-12

नकल 27-6-12

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर के प्रकरण कमांक 38/निगरानी/06–07 में पारित आदेश दिनांक 14–03–12 में नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 1/अ–74/04–05 में पारित आदेश दिनांक 27–10–04 एवं सहायक बंदोबस्त अधिकारी दल कमांक 4 चितरंगी, जिला–सिंगरौली के प्रकरण कमांक 56/अ–97–98 में पारित आदेश दिनांक 24–12–98 को निरस्त किया।

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

16/5/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–1333-I/12 जिला सिंगरौली

रामाधार पनिका/ धीरशाह बैगा

(1)	(2)	(3)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अंजनी कुमार सोनी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 38/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 14.03.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	